संख्या-12/2024/I/666919/तेइस-7-2024-23-7099/5/2023

प्रेषक,

अभिषेक गंगवार,

अनु सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (परि0नियो0),

लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-7 लखनऊ : दिनांक 13 जून, 2024

विषय : स्व0 कन्हई लाल, वर्क एजेन्ट, क्षेत्र खण्ड अन्वेषणालय, लो0नि0वि0, लखनऊ की चिकित्सा में हुए व्यय की प्रतिपूर्ति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-1163 व्यग/13 व्यग (02)/2022, दिनांक 22.05.2023 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश सरकारी सेवकों की चिकित्सा परिचर्या नियमावली, 2011 (यथा संशोधित) के निहित प्राविधानों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित किये गये अधिकारों के अन्तर्गत स्व0 कन्हई लाल, वर्क एजेण्ट, क्षेत्र खण्ड अन्वेषणालय, लो0नि0वि0, लखनऊ के अपोलो मेडिक्स हॉस्पिटल, लखनऊ में दिनांक 20.03.2022 से 11.04.2022 तक कराये गये उपचार पर व्यय धनराशि रू0 13,75,987/- (रूपये तेरह लाख पचहत्तर हजार नौ सौ सतासी मात्र) के सापेक्ष मुख्य चिकित्सा अधिकारी, लखनऊ द्वारा भुगतान हेतु संस्तुत धनराशि रू0 10,05,195/- (रूपये दस लाख पांच हजार एक सौ पन्चान्वे मात्र) की चिकित्सा प्रतिपूर्ति किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त चिकित्सा दावे से संबंधित बिल/बाउचर्स, अनिवार्यता प्रमाण पत्र आदि समस्त अभिलेख मूल रूप में संलग्न कर प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि उक्त चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे का भुगतान किये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे का भुगतान प्रथम बार ही किया जा रहा है एवं भुगतान की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है और यदि उक्त चिकित्सा हेतु कोई अग्रिम धनराशि स्वीकृत की गयी हो तो उसे समायोजित कर लिया जाय।

3- उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-62 के अधीन लेखाशीर्षक "2071-पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्तिक हित लाभ-01-सिविल-800 अन्य-04-राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारियों एवं अधिकारियों तथा राज्य सरकार के अधीन सेवानिवृत्त अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी व उनके परिवार के आश्रित सदस्यों के विशेष चिकित्सा उपचार हेतु सहायता-49-अन्य व्यय" के मद के नामे डाला जायेगा।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,

(अभिषेक गंगवार)

अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-12/2024/I/666919(1)/23-7-2024, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1 - महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।

2 - नोडल अधिकारी, बजट, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।

3 - वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

4 - कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

5 - अधिशासी अभियंती, क्षेत्र खण्ड अन्वेषणालय, लो0नि0वि0, लखनऊ।

6 - श्रीमती सरोज कुमारी पत्नी स्व0 कन्हई लाल (वर्क एजेण्ट), पता-201, बरौली खलीलाबाद, जिला-लखनऊ पिन कोड नं0-226025

7 - गार्ड पत्रावली हेतु।

आज्ञा से,

(अभिषेक गंगवार)

अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।